न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूँगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 46 / 2023
जीसीएमएस नं. 2023 / 146

दायर दिनांक 27.12.2023
निर्णय दिनांक 20.08.2025

1. वासु पिता शंकर डेण्डोर मीणा
2. छगन पिता शंकर डेण्डोर मीणा
3. भगु पिता शंकर डेण्डोर मीणा
4. जमना बेवा शंकर डेण्डोर मीणा

निवासीयान हमीरपुरा तहसील साबला जिला डूँगरपुर

– अपीलाण्ट

बनाम

1. धनेश्वर पुत्र जयन्तिलाल मीणा
2. रामु पत्नि धनेश्वर मीणा

निवासीयान हमीरपुरा तहसील साबला जिला डूँगरपुर

3. भूमिधारी तहसीलदार साबला, जिला डूंगरपुर।

– रेस्पोडेण्ट्स

अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970

उपस्थित – 1.श्री शैलेष भण्डारी – अपीलाण्ट अधिवक्ता
2. श्री प्रवीण शुक्ला – रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता 1 व 2

–:निर्णय:– **दिनांक –20.08.2025**

1. अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राज.भू.राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत पेश किया है। अपील प्रार्थना का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी मौजा हमीरपुरा तहसील साबला के खसरा नंबर 8 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा भूमि जरिए मिसल संख्या वि.रा.अ. / 2006 / 75–77 दिनांक 15–02–2006 को विपक्षीगण को आवंटन हुई। विपक्षीगण द्वारा गलत तथ्यों को दर्शित कर कृषि प्रयोजनार्थ भूमि

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

को आवंटित कराने की पात्रता नहीं रखने के बावजूद भी विपक्षीगण द्वारा भूमि का गलत आवंटन अपने नाम करा लिया। जबकि आज दिन तक विपक्षीगण कभी कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थीगण के कब्जे के प्रमाण मे पेनल्टी की रसीदे एवं धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत विपक्षी संख्या 3 द्वारा प्रदान किया गया नोटिस जो कि कब्जे का प्रमाण होकर प्रार्थीगण का कब्जा मौके पर अनवरत बना हुआ है।

आवंटन नियमों के अनुसार आवंटित भूमि पर आवंटन के प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भूमि पर कृषि की जानी होती है तथा आवंटन के दूसरे वर्ष में शेष 50 प्रतिशत भूमि पर कृषि करना होता है तथा आवंटन के तीसरे वर्ष संपूर्ण आवंटित भूमि पर कृषि करना होता है, परंतु रेस्पोडेण्ट द्वारा भूमि के आवंटन से आज तक कभी मौके पर काश्त नही की है, ना ही विपक्षीगण द्वारा आज तक आवंटन नियम के शर्तो की पालना की है। इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा आवंटन के 17 वर्षो के पश्चात् भी आवंटन के शर्तो की पालना नही करने से विपक्षीगण संख्या 1 व 2 के नाम भूमि आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

अतः अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 को किया गया आवंटन निरस्त फरमावें।

2. उपरोक्त अपील प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी जरिये सम्मन जारी कर की गई। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण शुक्ला द्वारा वकालत नामा व जवाब दावा पेश किया ।

3. रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विपक्षीगण को भूमि आवंटन की पात्रता रखने से मजमे आम में दिनांक 15.02.06 को ग्राम हमीरपुरा तहसील आसपुर हाल तहसील साबला स्थित भूमि खसरा नम्बर 8 रकबा 5 बीघा सात बिस्वा भूमि विपक्षीगण को आवंटित की गई है। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पूर्ण पालना करने से खातेदारी अधिकार भी प्रदान किये है। इस प्रकार विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। खातेदारी अधिकार प्रदान होने के बाद राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम के नियम 14(4) के प्रावधान लागू नही होते है। खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त भूमि पर विपक्षीगण संख्या 1 व 2 का पूर्व से कब्जा चला आ रहा है तथा वर्तमान मे भी है।

अतः निवेदन है कि प्रार्थी का अपील प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

4 **हमने अपील प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सूनी।**

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

5. अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपील प्रार्थना पत्र कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी मौजा हमीरपुरा तहसील साबला के खसरा नंबर 8 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा भूमि दिनांक 15–02–2006 को विपक्षीगण को आवंटन हुई। विपक्षीगण द्वारा गलत तथ्यों को दर्शित कर आवंटन अपने नाम करा लिया। जबकि आज दिन तक विपक्षीगण का कभी कब्जा नहीं रहा है। रेस्पोडेण्ट द्वारा भूमि के आवंटन से आज तक कभी मौके पर काश्त नही की है। इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा आज तक आवंटन नियम के शर्तो की पालना की है। विपक्षीगण द्वारा आवंटन के 17 वर्षो के पश्चात् भी आवंटन के शर्तो की पालना नही की है। प्रार्थीगण के कब्जे के प्रमाण मे पेनल्टी की रसीदे एवं धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत विपक्षी संख्या 3 द्वारा प्रदान किया गया नोटिस जो कि कब्जे का प्रमाण होकर प्रार्थीगण का कब्जा मौके पर अनवरत बना हुआ है।

अतः अपील स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 को किया गया आवंटन निरस्त फरमावें।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट स. 01 व 02 की ओर अपनी बहस में जवाब दावा के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मजमे आम में दिनांक 15.02.06 को ग्राम हमीरपुरा तहसील साबला स्थित भूमि खसरा नम्बर 8 रकबा 5 बीघा सात बिस्वा भूमि विपक्षीगण को आवंटित की गई है। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पूर्ण पालना करने से खातेदारी अधिकार भी प्रदान किये है। इस प्रकार विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। खातेदारी अधिकार प्रदान होने के बाद राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम के नियम 14(4) के प्रावधान लागू नही होते है। खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी की अपील खारिज फरमाई जावें।

7 हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। आवंटी धनेश्वर पिता जयन्तिलाल मीणा, रामू पत्नि धनेश्वर मीणा को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 15.02.2006 को खसरा नम्बर 8 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया। वर्तमान जमाबन्दी रिकोर्ड अनुसार रेस्पोडेण्ट खातेदार दर्ज है। इस प्रकार आवंटी को आवंटन पश्चात गैर खातेदारी से खातेदारी हक प्राप्त हुए है।

अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी पर स्वयं का कब्जा होना, विपक्षीगण का कब्जा काश्त नहीं होना, एवं आवंटी द्वारा तथ्य छिपा कर गलत रूप से आवंटन कराया जाने का अकंन किया है। अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील में रेस्पोडेण्ट को आवंटन की

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

पात्रता नही रखना अकंन किया है। साथ ही अपीलाण्ट की ओर से अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में एवं बहस में दी गयी दलीलों की पुष्टि में ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिसके आधार पर अपीलाण्ट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त साबित होता है और आवंटी द्वारा आवंटन गलत रूप से कराया जाना साबित होता हो।

इसी प्रकार अपीलाण्ट द्वारा आवंटन को तथ्य छिपा कर गलत रूप से आवंटन कराया जाने का अकंन किया है। जबकि नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 अन्तर्गत ऐसा आवंटन जो कपट अथवा मिथ्याव्यपदेशन के द्वारा कराया हो या नियम विरूद्व किया गया हो या आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की हो तो इस प्रकार के आवंटन को नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 अन्तर्गत खारिज किया जा सकता है। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा इस प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर आवंटन तथ्य छिपा कर आवंटन कराया जाना साबित होता हो। अपीलाण्ट की ओर से बिना किसी आधार के यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 बिना किसी आधार पर पेश करने से अस्वीकार करते हुए खारिज किया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जरिये मिसल संख्या वि.रा.अ. / 2006 / 75–77 दिनांक 15.02.2006 को मौजा हमीरपुरा के खसरा नम्बर 8 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 और 2 आवंटन की गयी भूमि के आवंटन आदेश को यथावत बहाल रखने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 20.08.25 को लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

(दिनेश धाकड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर